सं. 4-4/2015-बीपी-2(एससी/एसटी/ओबीसी होस्टल)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 27 अप्रैल, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
16-20 बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली- 110001

विषय: अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगना और त्रिपुरा को खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

मुझे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिें अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम के अंतर्गत 7 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा के मासिक आवंटन हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

(टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल (प्रति माह)	गेहूं (प्रति माह)
1	आंध्र प्रदेश	4801.925	-
2	छत्तीसगढ़	1436.266	20.559
3	दादरा एवं नगर हवेली	9.583	7.083
4	कर्नाटक	2358.583	1179.330
5	मध्य प्रदेश	-	3115
6	तेलंगना	3431.825	-
7	त्रिपुरा	309.634*	-

* त्रिपुरा सरकार द्वारा भेजे गए उपयोगिता प्रमाण 2014-15 के अनुसार वर्ष के अंत में 1.294 टन चावल बचा हुआ हैं । तदनुसार वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही हेतु 1.294 टन बचे हुए चावल का समायोजन करने के बाद त्रिपुरा सरकार का मासिक कोटा 309.634 टन चावल होगा।

2. भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेंगा कि चावल/गेहूं की उक्त मात्रा उनके नजदीकी डिपो से बीपीएल दर पर पूर्व-भुगतान के आधार पर उनके द्वारा किए जाने वाले जिलेवार उप आवंटन के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति को जारी की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस विभाग को सूचना देते हुए इस संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश जारी किए जाएं और उनके नजदीकी डिपो से खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

3. इस योजना के उचित कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होगी। अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 की दूसरी छमाही के लिए आवंटन पर विचार, इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2014-15 के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र यदि कोई हो प्राप्त होने किया जाएगा।

4. अप्रैल, 2015 से मई, 2015 के माह के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठान करने की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख 50 दिनों तक होगी और जून, 2015 से सितम्बर, 2015 तक अर्थात् शेष

महीनों के लिए लागत जमा करने और उसके आवंटित खाद्यान्न उठाने की वैधता अवधि क्रमश: प्रत्येक आवंटन माह की 15 और 20 तारीख होगी।

भवदीय,

(असित हलदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1. सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगना और त्रिपुरा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
2. निदेशक(एनएफएसए)/ निदेशक(पीडी)/उप सचिव(एफसी लेखा)/संयुक्त निदेशक(संचालन)/अवर सचिव(बीपी-3)